शैक्षणिक परिषद की दिनांक 22.05.2009 को आयोजित

दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्यगण :

1. प्रो. महेंद्र पी लामा, कुलपति एवं अध्यक्ष
2. प्रो. वाई डी प्रसाद, सदस्य
3. प्रो. पी के बणिक, सदस्य
4. प्रो. टी करुणाकरण, सदस्य
5. प्रो। एस एफ पाटील, सदस्य
6. प्रो. आर पी तिवारी, सदस्य
7. प्रो। जे पी शर्मा, सदस्य
8. प्रो. इफ्तेखर अहमद, सदस्य
9. डा. जी एस योंजोन, सदस्य
10. प्रो. टंक बी सुब्बा, सदस्य
11. डा. नीलिमा देशमुख, सदस्य
12. प्रो. तीस्ता बागछि, सदस्य
13. प्रो. मानवेंद्र किशोर दास, सदस्य
14. प्रो. जोस वर्गीज़, सदस्य

श्री एस के सरकार, रजिस्ट्रार एवं सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके:

1. प्रो. ए आर रेड्डी
2. प्रो. रवि शंकर श्रीवास्तव
3. प्रो. सुरंजन दास
4. प्रो. वी एस प्रसाद
5. श्री संजय हजारिका
6. प्रो. अतुल शर्मा
7. प्रो. अंजान मुखर्जी

उपस्थित अधिकारीगण:

श्री पी वी रवि, वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक (स्थानापन्न)

डा. सी बी सुनवार, फ़ेलो (अकादेमिक) श्री एस गोपीनाथ, विशेष

कार्य अधिकारी

एसी:02:01: **अध्यक्ष द्वारा सदन को व्यवस्थित कहा जाना**

प्रो. महेंद्र पी लामा, कुलपति ने बैठक की अध्यक्षता की तथा सदन को व्यवस्थित बतलाया।

एसी:02:02: मृत्यु-सूचना संदर्भ

सदन ने हाल में हुई निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु को गहरे शोक के साथ नोट किया :

शैक्षणिक परिषद की दिनांक 22,05.2009 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

1. श्री आर वेंकटरामन, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति
2. श्री वी पी सिंह, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री
3. राजकुमारी पेमा छेडुम याबसी, स्व. छोग्याल ताशी नामग्याल की ज्येष्ठ पुत्री
4. श्री काज़ी लेंडुप दोरजी खंगशरपा, सिक्किम राज्य के प्रथम एवं भूतपूर्व मुख्य मंत्री
5. श्री एस डब्ल्यू तेनजिंग, पूर्व मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार
6. श्री टी एन तेनजिंग, पूर्व पुलिस महानिदेशक, सिक्किम सरकार
7. श्री ताशी तोपदेन, पूर्व अपर मुख्य सचिव एवं सिक्किम सरकार के प्रति सलाहकार
8. श्री डबल्यू टी बरफुङ्ग्पा, सचिव, पशुपालन विभाग, सिक्किम सरकार
9. श्री प्रेम सागर निराश, पत्रकार

शैक्षणिक परिषद ने श्री आर वेंकटरमण, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति के निधन पर संवेदना प्रकट करने का निर्णय लिया तथा संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति संप्रेषित किया।

शैक्षणिक परिषद ने श्री वी पी सिंह, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री के निधन पर संवेदना प्रकट करने का निर्णय लिया तथा संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति संप्रेषित किया।

शैक्षणिक परिषद ने स्व. छोग्याल ताशी नामग्याल की ज्येष्ठ पुत्री राजकुमारी फेमा छेदयुम याबसी के निधन पर संवेदना प्रकट करने का निर्णय लिया तथा

संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति संप्रेषित किया।

शैक्षणिक परिषद ने श्री काज़ी लेंडुप दोरजी खंगशरपा, सिक्किम राज्य के प्रथम एवं भूतपूर्व मुख्य मंत्री के निधन पर संवेदना प्रकट करने का निर्णय लिया तथा संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति संप्रेषित किया।

.शैक्षणिक परिषद ने श्री एस डबल्यू तेनजिंग, भूतपूर्व मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार के निधन पर संवेदना प्रकट करने का निर्णय लिया तथा संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति संप्रेषित किया।

शैक्षणिक परिषद ने श्री टी एन तेनजिंग, भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक, सिक्किम सरकार के निधन पर संवेदना प्रकट करने का निर्णय लिया तथा संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति संप्रेषित किया।

शैक्षणिक परिषद ने श्री ताशी तोपदेन, भूतपूर्व अपर मुख्य सचिव एवं सिक्किम सरकार के सलाहकार के निधन पर संवेदना प्रकट करने का निर्णय लिया तथा संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति संप्रेषित किया।

शैक्षणिक परिषद ने श्री डबल्यू टी बरफुङ्गपा, सचिव, पशुपालन विभाग, सिक्किम सरकार के निधन पर संवेदना प्रकट करने का निर्णय लिया तथा संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति संप्रेषित किया।

.

शैक्षणिक परिषद ने श्री प्रेम सागर निराश, पत्रकार के निधन पर संवेदना प्रकट करने का निर्णय लिया तथा संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति संप्रेषित किया।

एसी:02:03: सिक्किम विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलाधिपति का स्वागत

कुलपति ने सदन को सूचित किया कि भारत के राष्ट्रपति ने, सिक्किम विश्वविद्यालय के विजिटर की अपनी हैसियत से प्रो. एम एस स्वामीनाथन को 01 जुलाई 2012 तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया है। कुलपति ने सदन को प्रो. स्वामीनाथन के तेजस्वी व्यक्तित्व के बारे में निम्न रूप से अवगत करवाया:

प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को टाइम पत्रिका द्वारा 20वीं शताब्दी के बीस सर्वाधिक प्रभावशाली एशियाई में से एक, एवं भारत से मात्र तीन में से एक के रूप में अभिनंदित किया गया है, अन्य दो में महात्मा गांधी तथा रवीद्रनाथ टैगोर हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उन्हें "आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक" के रूप में तथा जेवीयर पेरेज डी क्यूएलर, संयुक्तराष्ट्र के महासचिव द्वारा "एक जीवंत किंवदंती, जो भारत के इतिहास के पृष्ठों में एक अतिविशिष्ट विश्व-वैज्ञानिक के रूप में दर्ज होगा" कहा गया है। वे विएना कार्रवाई योजना पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए वर्ष 1980 में स्थापित यूएन विज्ञान परामर्शदायी समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने एफएओ परिषद के भी स्वतंत्र अध्यक्ष तथा प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ के सभापति के रूप में सेवाएँ अर्पित की है। वे विज्ञान एवं विश्व मामले पर पगवाश सम्मेलनों (2002-07) के सभापति तथा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के वर्तमान सभापति के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी है।

शिक्षा से एक पादप आनुवांशिक वैज्ञानिक, प्रोफेसर स्वामीनाथन के भारत के कृषि पुनर्जागरण में अवदानों के कारण, उन्हें हरित क्रान्ति अभियान के एक वैज्ञानिक नेता के रूप में व्यापक रूप से याद किया जाता है। धारणीय कृषि से सदैव-हरित क्रान्ति के प्रति उनके समर्थन ने उन्हें धारणीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सुविख्यात विश्व नेता बना दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं विकास संगठन द्वारा उन्हें कृषि में महिलाओं के ज्ञान, शिल्प एवं प्रौद्योगिकीय सशक्तिकरण की प्रोन्नति में महत्वपूर्ण अवदानों तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास में लिंग धारणाओं को मुख्यधारा में लाने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रोफेसर स्वामीनाथन को वर्ष 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रामोन मेगासेसे अवार्ड, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान अवार्ड, 1987 में प्रथम विश्व खादय पुरस्कार, तथा पर्यावरण हेतु वॉल्वो एवं टाइलर पुरस्कार, 2000 में शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इन्दिरा गांधी पुरस्कार, तथा फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट चार स्वाधीनता पदक, साथ ही 2000 में युनेस्को का महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया था।

प्रोफेसर स्वामीनाथन लंदन के रॉयल सोसाइटी तथा यूएस राष्ट्रीय विज्ञान अकादेमी सहित भारत एवं विश्व के कई अग्रणी वैज्ञानिक अकादेमियों के फ़ेलो हैं। उन्होंने विश्व भर के विश्वविद्यालयों से 58 मानद डिग्री प्राप्त किए हैं। वर्तमान में वे चेन्नई (मद्रास), भारत में एम एस स्वामीनाथन अनुसंधान संस्थान स्थित ईको-टेक्नोलोजी में युनेस्को चेयर धरण करते हैं, साथ ही राष्ट्रीय किसान आयोग, भारत सरकार के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। वर्तमान में वे भारत के संसद (राज्य सभा) के सदस्य हैं, जिनके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में उनके अतिविशिष्ट वैज्ञानिक अवदानों की पहचान में नामित किया गया था।

शैक्षणिक परिषद ने एम एस स्वामीनाथन की विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में नियुक्ति का स्वागत किया तथा आशा व्यक्त की की विश्वविद्यालय उनके पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अत्यधिक समृद्ध होगा।

एसी:02:04 **कुलपति के प्रेक्षण**

संलग्नक के रूप में **अनुलग्नक –एसी:02:04**

एसी:02:05 **शैक्षणिक परिषद की दिनांक 17 अक्तूबर 2008 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

[कार्यसूची टिप्पणी*:*

कार्यवृत्त को सदस्यों के बीच दिनांक 29 दिसंबर 2008 के पत्र के माध्यम से परिचालित किया गया थ। किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।]

शैक्षणिक परिषद ने दिनांक 17 अक्तूबर 2008 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा इसकी पुष्टि कर ली गई।

एसी:02:06 **शैक्षणिक परिषद की दिनांक 17 अक्तूबर 2008 को आयोजीय पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ति कार्रवाई रिपोर्ट**

[कार्यसूची टिप्पणी*:*

अनुवर्ति कार्रवाई रिपोर्ट पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।]

शैक्षणिक परिषद की दिनांक 17 अक्तूबर 2008 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पटल पर प्रस्तुत की गई थी**,** तथा सदन द्वारा इसे **अनुलग्नक-एसी:02:06** के अनुसार स्वीकार किया गया था।

एसी:02:07 **सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 28(1) एवं धारा 29(2) के तहत विश्वविद्यालय के स्कूलों, विभागों, केन्द्रों, हाल, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना एवं विघटन पर अतिरिक्त सांविधि निर्माण करने में कार्यकारी परिषद के निर्णय को नोट किया जाना**

[कार्यसूची टिप्पणी*:*

शैक्षणिक परिषद की दिनांक 22.05.2008 को आयोजीय दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

शैक्षणिक परिषद ने दिनांक 17 अक्तूबर 2008 को आयोजित बैठक में कार्यसूची मद सं. एसी:01:33 के तहत विश्वविद्यालय हेतु सत्तरह अध्ययन के स्कूलों की निम्नानुसार स्थापना स्वीकृत किया था:

1. सामाजिक विज्ञान का स्कूल
2. वैश्विक अध्ययन का स्कूल
3. विधि एवं शासन का स्कूल
4. भाषा विज्ञान एवं भाषाओं का स्कूल
5. प्रबंधन का स्कूल
6. मीडिया, संचार एवं सूचना विज्ञान का स्कूल
7. कंप्यूटर विज्ञान का स्कूल
8. पर्यावरण अध्ययन का स्कूल
9. जैव-प्रौद्योगिकी का स्कूल
10. जीव विज्ञान का स्कूल
11. भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान का स्कूल
12. आयोजना, आर्किटेक्चर एवं इंजीनियरी का स्कूल
13. औषिधी का स्कूल
14. देशज एवं लोक अध्ययन का स्कूल
15. धारणीय विकास एवं आजीविका प्रबंधन का स्कूल
16. शांति, संघर्ष एवं मानव सुरक्षा अध्ययन का स्कूल
17. नीति आयोजना एवं अध्ययन का स्कूल

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29 विश्वविद्यालय की सांविधि निर्माण करने की शक्ति के संबंध में है। इस धारा को तत्काल संदर्भ के लिए उद्धृत किया जाता है:

उद्धरण

29(1) प्रथम सांविधि वे हैं जो अनुसूची में निर्धारित हैं।

(2) कार्यकारी परिषद, समय-समय पर नई अथवा अतिरिक्त सांविधियों का निर्माण कर सकता है, अथवा उप-धारा (1) में संदर्भित सांविधियों में संशोधन अथवा निरस्त कर सकता है:

बशर्ते की कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की हैसियत, शक्ति एवं संघटन को प्रभावित करने वाली कोई ऐसी सांविधि का निर्माण, संशोधन अथवा निरस्तीकरण तब तक नहीं कर सकेगा, जबतक कि ऐसे प्राधिकारी को लिखित रूप से प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो,एवं इस प्रकार से व्यक्त कोई राय कार्यकारी परिषद के लिए विचारणीय होगी।

(3) प्रत्येक नई सांविधि अथवा सांविधि के प्रति संयोजन अथवा किसी सांविधि में कोई संशोधन अथवा निरस्तीकरण के लिए विजिटर की स्वीकृति वांछित होगी, जो कि इसपर स्वीकृति दे अथवा नहीं दे सकते हैं अथवा कार्यकारी परिषद द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं।

(4) किसी नई सांविधि अथवा वर्तमान सांविधि को संशोधित अथवा निरस्त करते हुए किसी सांविधि की तब तक कोई वैधता नहीं होगी, जब तक की इसपर विजिटर की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है।

(5) उपरोक्त उप धारा में निहित किसी बात के होते हुए भी, विजिटर नई अथवा अतिरिक्त सांविधि का निर्माण कर सकते हैं, अथवा उप धारा (।) में संदर्भित सांविधियों को अधिनियम के प्रारंभण के तत्काल बाद तीन वर्षों की अवधि के दौरान संशोधित अथवा निरस्त कर सकते हैं:

बशर्ते कि विजिटर, तीन वर्षों की कथित अवधि की समाप्ति पर, ऐसी समाप्ति से एक वर्ष के अंदर ऐसी विस्तृत सांविधि का निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि वे आवश्यक मानें एवं ऐसी विस्तृत सांविधि संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी।

(6) उपरोक्त उपधारा में निहित किसी बात के होते हुए भी, विजिटर उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में सांविधियों में प्रावधान करने का निर्देश दे सकते हैं, एवं यदि कार्यकारी परिषद ऐसे निर्देशों को प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर कार्यान्वित करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे निर्देशों के अनुपालन में अपनी असमर्थता हेतु कार्यकारी परिषद द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो, विजिटर उपयुक्त ढंग से सांविधि का निर्माण अथवा संशोधन कर सकते हैं।

उद्धरण समाप्त

अधिनियम की धारा 28(1) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों की शर्त पर, सांविधियाँ निम्नलिखित में से सभी अथवा किसी विषय को उपबंधित कर सकती हैं,नामतः

स्कूलों, विभागों, केन्द्रों, हाल, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना एवं विघटन

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की **अनुसूची** में यथाप्रदत्त विश्वविद्यालय की प्रथम सांविधियों की सांविधि 15 नीचे उद्धृत की जाती है :

उद्धरण

15(1) विश्वविद्यालय में अध्ययनों के ऐसे स्कूल होंगे, जैसा की सांविधियों में निर्दिष्ट किया गया हो:

(2) प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल बोर्ड होगा तथा प्रथम स्कूल बोर्ड के सदस्यों को कार्यकारी परिषद द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।

(3) किसी स्कूल बोर्ड के संघटन, शक्ति एवं कार्य अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

(4) किसी स्कूल बोर्ड की बैठकों का संचालन एवं ऐसी बैठकों के लिए कोरम अध्यादेशों के द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

(5) (ए) प्रत्येक स्कूल में ऐसे विभाग सम्मिलित होंगे, जैसा कि अध्यादेशों के द्वारा इसके लिए निर्धारित किया गया हो:

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर, अध्ययन के ऐसे केन्द्रों की स्थापना कर सकता है, जिनमें विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकगण नियुक्त किए जा सकते हैं, जैसा कि कार्यकारी परिषद आवश्यक मानें।

(बी) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्यगण सम्मिलित होंगे, नामतः

(i) विभाग के शिक्षकगण;

(ii) विभाग में अनुसंधान संचालित करने वाले व्यक्तिगण;

(iii) स्कूल का डीन;

(iv) मानद प्रोफेसर,यदि कोई विभाग से सम्बद्ध हों; एवं

(v) ऐसे अन्य व्यक्तिगण, जैसा कि अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार विभाग के सदस्य हों।

उद्धरण समाप्त

उपरोक्त के आलोक में, अन्य बातों के अलावा, सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम,*2006* की धारा 28 (1) के तहत विश्वविध्यालय के स्कूलों, विभागों, केन्द्रों, हाल, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के स्थापना एवं विघटन पर निम्नलिखित ड्राफ्ट अतिरिक्त सांविधियाँ

कार्यकारी परिषद की दिनांक 28.03.2009 को आयोजित बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की गई थी।

सिक्किम विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय के स्कूलों, विभागों, केन्द्रों, हौलों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना एवं विघटन पर अतिरिक्त सांविधियाँ

(सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, ***2006*** की धारा 28(1) के तहत***)***

सांविधि *15 (1) (ए):*

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययनों के स्कूल होंगे*:*

1. सामाजिक विज्ञान का स्कूल

2. वैश्विक अध्ययनों का स्कूल

3. विधि एवं शासन का स्कूल

4. भाषा विज्ञान एवं भाषाओं का स्कूल

5. प्रबंधन का स्कूल

6. मीडिया, संचार एवं सूचना विज्ञान का स्कूल

7. कंप्यूटर विज्ञान का स्कूल

8. पर्यावरण अध्ययन का स्कूल

9. जैव- प्रौद्योगिकी का स्कूल

10. जीव विज्ञान का स्कूल

11. भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान का स्कूल

12. आयोजना, आर्किटेक्चर एवं इंजीनियरी का स्कूल

13. औषधि का स्कूल

14. देशज एवं लोक अध्ययन का स्कूल

15. धारणीय विकास एवं आजीविका प्रबंधन का स्कूल

16. शांति, संघर्ष एवं मानव सुरक्षा अध्ययन का स्कूल

17. नीति एवं आयोजना अध्ययन का स्कूल

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद, किसी समय, शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर, ऐसे स्कूल (ओं) का निर्माण अथवा विघटन कर सकता है, जैसा कि यह आवश्यक मानता हो।

उपरोक्त पर विधिवत विचार के पश्चात,कार्यकारी परिषद ने ऊपर यथाप्रदत्त सांविधि 15(1)(ए) का अनुमोदन करने का निर्णय लिया, एवं आगे सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अनुसार सांविधि बनाने तथा इसे माननीय विजिटर के समक्ष सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 29(3) के अनुसार उनकी स्वीकृति हेतु अग्रेषित करने का निर्णय लिया।

शैक्षणिक परिषद कृपया कार्यकारी परिषद के उपरोक्त निर्णय को नोट करें एवं स्वीकार करें।]

शैक्षणिक परिषद ने कार्यकारी परिषद के उपरोक्त निर्णय को नोट किया।

एसी:02:08 शिक्षण पदों के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर कार्यकारी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय पर विचार एवं नोट करना

[कार्यसूची टिप्पणी*:*

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 16 फरवरी 2009 के पत्र डी. ओ. सं. एफ. 24-33/2009(सीयू) के माध्यम से विश्वविद्यालय हेतु *XI* वीं योजना के अंतर्गत प्रोफेसरों के 29 पद, एसोसिएट प्रोफेसरों के 68 पद एवं सहायक प्रोफेसरों के 104 पद सहित शिक्षण कर्मचारियों के 201 पदों की स्वीकृति की सूचना दी है। इन पदों के लिए विभाग-वार विवरण अनुलग्नक-2.11(ईसी) में दी गई है।

विश्वविद्यालय की सांविधियों की सांविधि 12(2)(*i)* के अनुसार कार्यकारी परिषद में, अन्य बातों के अलावा शिक्षण एवं अन्य शैक्षणिक पदों के निर्माण, ऐसे पदों की संख्या एवं परिलब्धियाँ निर्धारित करने तथा प्रोफेसरों, रीडरों, व्याख्याताओं एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य एवं सेवा शर्तों को परिभाषित करने की शक्ति निहित होगी।

बशर्ते की कार्यकारी परिषद द्वारा शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या एवं अर्हताओं के संबंध में शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विचार के बाद अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अबतक बिना किसी नियमित शिक्षण पदों के करता रहा है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने *XI* वीं योजना के अंतर्गत 201 शिक्षण पदों की स्वीकृति, अनुलग्नक-2.11(ईसी) के अनुसार प्रदान किया है।

उपरोक्त पर विधिवत विचार के उपरांत कार्यकारी परिषद ने 28.03.2009 को आयोजित अपनी बैठक में **अनुलग्नक-2.11(ईसी) में यथाप्रदत्त वित्त समिति एवं शैक्षणिक परिषद की सूचना एवं अनुशंसा की शर्त पर** 201 शिक्षण पदों के निर्माण हेतु अनुमोदन करने का निर्णय लिया था। तथापि कार्यकारी परिषद द्वारा कार्यसूची मद सं. 01:04 दिनांक *04* अगस्त 2009 के तहत दी गई स्वीकृति निष्प्रभावी होगी जब इस नवसृजित 201 पदों को प्रभावी किया जाएगा।

कार्यकारी परिषद ने आगे नोट किया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में गुणता शिक्षा प्रदान करने के लिए एकीकृत ग्रेजुएट- पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को लागू करने में अतिरिक्त शिक्षण पद वांछित होंगे। परिषद ने ऐसे अतिरिक्त पदों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान योजनावधि के अंतर्गत अथवा योजनावधि के तत्काल बाद की अवधि के दौरान आवश्यक होगा।

उपरोक्त की दृष्टि से शैक्षणिक परिषद कृपया इसे नोट करे एवं कार्यकारी परिषद के निर्णय पर अपनी कार्योत्तर स्वीकार्यता एवं अपनी अनुशंसाओं के लिए ऊपर उद्धृत सांविधियों के अनुसार विचार करे।]

शैक्षणिक परिषद ने नोट किया तथा कार्यकारी परिषद के उपरोक्त निर्णय पर विचार एवं स्वीकार किया, तथा इसपर कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन हेतु कार्योत्तर अनुशंसा की।

एसी:02:09 **कुलपति द्वारा निर्मित एवं केंद्र सरकार को अनुमोदन हेतु अग्रेषित प्रथम अध्यादेशों को नोट करना एवं इसपर विचार किया जाना**

[सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 30(2) के अनुसार प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से निर्मित किया जाएगा तथा इस प्रकार निर्मित अध्यादेश कार्यकारी परिषद द्वारा सांविधि में निर्धारित तरीके से किसी भी समय संशोधित, निरस्त अथवा इसमें संयोजन किया जाएगा।

तदनुसार,कुलपति द्वारा 8(आठ) अध्यादेशों का निर्माण प्रथम अध्यादेशों के रूप में किया गया है तथा इसे केंद्र सरकार के अनुमोदनार्थ अग्रेषित किया गया है। इन अध्यादेशों की सूची नीचे दी गई है:

(क) छात्रों के नामांकन एवं उनकी नामावली पर **अनुलग्नक- अध्यादेश 01** के अनुसार प्रथम अध्यादेश

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकार में महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में **अनुलग्नक-अध्यादेश 02** के अनुसार नामांकन हेतु पद्धति, प्रबंधन का पर्यवेक्षण एवं उन विशेषाधिकारों की वापसी सहित अन्य शर्तों पर प्रथम अध्यादेश

(ख) डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्रों के लिए **अनुलग्नक- अध्यादेश 03** के अनुसार अध्ययन के पाठ्यक्रमों पर प्रथम अध्यादेश

*(ग)*स्कूलों के प्रति विभागों का **अनुलग्नक- अध्यादेश 04** के अनुसार आवंटन पर प्रथम अध्यादेश

(घ)परीक्षा के लिए संचालन एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने पर **अनुलग्नक- अध्यादेश 05** के अनुसार परीक्षा निकायों, परीक्षकों एवं मोडेरटरों की नियुक्ति एवं कार्यकाल तथा कर्तव्यों सहित पर प्रथम अध्यादेश।

*(घ)*विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों पर प्रभारित किए जाने वाले शुल्कों एवं विश्वविद्यालय की डिग्री एवं डिप्लोमा परीक्षाओं में नामांकन पर **अनुलग्नक- अध्यादेश 06** के अनुसार प्रथम अध्यादेश

*(ङ)*प्रशासनिक, सचिवीय एवं अन्य आवश्यक पदों (चेयर सहित) के सृजन एवं इनपर नियुक्ति हेतु **अनुलग्नक- अध्यादेश 07** के अनुसार प्रथम अध्यादेश

*(च)*चयन समिति द्वारा अनुसरण किए जाने योग्य पद्धति पर **अनुलग्नक- अध्यादेश 08** के अनुसार प्रथम अध्यादेश

अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निर्मित प्रथम अध्यादेश में कार्यकारी परिषद द्वारा निम्नलिखित खंडों में समय-समय पर संशोधन, निरस्तीकरण अथवा संयोजन किया जाएगा :

(2) धारा 30 की उपधारा (1) में परिगणित विषयों के संबंध में कार्यकारी परिषद द्वारा कोई भी अध्यादेश निर्मित नहीं किया जाएगा, जबतक कि ऐसे अध्यादेश का कोई ड्राफ्ट शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो।

(3) कार्यकारी परिषद को शैक्षणिक परिषद द्वारा खंड-2 के अंतर्गत प्रस्तावित किसी अध्यादेश के किसी ड्राफ्ट को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा, परंतु प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा शैक्षणिक परिषद के समक्ष किन्हीं संशोधनों के साथ पूर्णतः अथवा अंशतः लौटाया जा सकता है, जैसा कि कार्यकारी परिषद सुझाव देता है।

(4) जहां कार्यकारी परिषद द्वारा शैक्षणिक परिषद के प्रस्तावित अध्यादेश के किसी ड्राफ्ट को अस्वीकृत किया अथवा लौटाया जाता है, शैक्षणिक परिषद इसपर नए सिरे से पुनर्विचार कर सकता है और यदि मूल ड्राफ्ट की उपस्थित सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा एवं शैक्षणिक परिषद के कुल सदस्यों में से आधे से अधिक द्वारा वोटिंग करके पुष्टि की जाती है तो ड्राफ्ट को कार्यकारी परिषद के समक्ष पुनः प्रेषित किया जाएगा, जो कि या तो इसे अंगीकृत करेंगे अथवा विजिटर को संदर्भित करेंगे जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(5) कार्यकारी परिषद द्वारा निर्मित प्रत्येक अध्यादेश तत्काल प्रभावी होगा।

(6) कार्यकारी परिषद द्वारा निर्मित प्रत्येक अध्यादेश विजिटर के समक्ष इनके अंगीकरण की तारीख से दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) विजिटर के पास विश्वविद्यालय को किसी अध्यादेश के प्रचालन को निलंबित करने का निर्देश देने का अधिकार होगा।

(8) विजिटर खंड 7 में यथासंदर्भित अध्यादेश के प्रति अपनी आपत्तियों के बारे में कार्यकारी परिषद को सूचित करेंगे एवं विश्वविद्यालय की अभ्युक्तियों को प्राप्त करने के बाद या तो अध्यादेश पर से निलंबन वापस लेंगे या अध्यादेश को अस्वीकृत करेंगे, तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में परिगणित विषय नीचे दिये गए हैं:

30 (1) इस अधिनियम एवं सांविधियों की शर्त पर, अध्यादेशों में निम्नलिखित में से कोई अथवा सभी विषय उपबंधित होंगे, नामतः

(a) विश्वविद्यालय के प्रति छात्रों का नामांकन एवं उनकी इस प्रकार की नामावली

(b) विश्वविद्यालय के सभी डिग्री डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्रों हेतु निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रम

(c) शिक्षण एवं परीक्षा के माध्यम

(d) डिग्री डिप्लोमा प्रमाणपत्र एवं अन्य शैक्षणिक प्रतिष्ठाओं का अवार्ड, इनके लिए अर्हताएँ तथा इन्हें प्रदान एवं प्राप्त करने के संबंध में अपनाए जाने योग्य साधन

(e) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम पर एवं विश्वविद्यालय की डिग्री एवं डिप्लोमा परीक्षाओं में नामांकन हेतु प्रभारित किए जाने वाले शुल्क

(f) फ़ेलोशिप, छात्रवृति स्टूडेंटशिप पदक एवं पुरस्कारों के अवार्ड हेतु शर्तें

(g) परीक्षा निकायों परीक्षकों एवं मोडरेटरों की नियुक्ति के तरीके कार्यकाल एवं कर्तव्य सहित परीक्षा का संचालन

(h) विश्वविद्यालय में छात्रों के आवास की शर्तें

(i) विशेष व्यवस्थाएँ, यदि कोई हो जो कि महिला छात्रों के आवास एवं शिक्षण हेतु की गई हो, एवं उनके लिए विशेष पाठ्यक्रमों का निर्धारण

(j) अध्ययन के केन्द्रों अध्ययन के बोर्डों विशेषीकृत प्रयोगशालाओं एवं अन्य समितियों की स्थापना

(k) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं ऐसे अन्य अभिकरणों के साथ सहकारिता एवं सहभागिता के विषय, जो कि विद्या निकायों एवं संगठनों सहित किन्हीं लाभ की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हैं।

(l) किसी अन्य निकाय का सृजन, संघटन एवं कार्य जो कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन की अभिवृद्धि हेतु आवश्यक माना जाए।

(m) फ़ेलोशिप छात्रवृति स्टूडेंटशिप पदक एवं पुरस्कारों की स्थापना

(n) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के प्रति सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों के प्रबंधन का पर्यवेक्षण

(o) कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु एक मशीनरी की स्थापना, एवं

(p) सभी अन्य विषय, जो कि इस अधिनियम अथवा सांविधियों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए गए हों/ किए जाने योग्य हो।

शैक्षणिक परिषद कृपया नोट करें एवं अधिनियम तथा सांविधियों के संगत प्रावधानों के अनुसार संशोधन, निरस्तीकरण अथवा संयोजन के लिए उपरोक्त अध्यादेशों पर अपनी स्वीकार्यता हेतु विचार करें.]

शैक्षणिक परिषद ने कुलपति द्वारा अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्मित उपरोक्त अध्यादेशों को नोट किया।

एसी:02:10 सिक्किम राज्य के नौ महाविद्यालयों के प्रति संबद्धता के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव पर विचार करना

[कार्यसूची टिप्पणी*:*

1. सिक्किम विश्वविद्यालय ने प्रो. महेंद्र पी लामा की प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्ति के साथ कार्यसंचालन आरंभ किया। सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के आलोक में, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, सिक्किम राज्य के नौ महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2008-09 से अस्थाई/ अनंतिम संबद्धता प्रदान की गई थी। इस प्रकार प्रदान की गई संबद्धता के लिए बाद के सत्रों में नवीनीकरण वांछनीय है। शैक्षणिक परिषद कृपया इन महाविद्यालयों हेतु संबद्धता के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव पर विचार करें। अधिनियम, सांविधियों एवं अध्यादेशों के संगत प्रावधान नीचे उद्धृत हैं:

विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान क्ये गए महाविद्यालय निम्नलिखित थे:

(1) सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग

(2) नामची सरकारी महाविद्यालय

(3) रेनौक सरकारी महाविद्यालय

(4) सरकारी विधि महाविद्यालय, बुर्तुक

(5) डंबर सिंह महाविद्यालय

(6) हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय

(7) हिमालयन फार्मेसी संस्थान

(8) पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय

(9) लोयला शिक्षा महाविद्यालय

2. **सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार पृष्ठभूमि टिप्पणी**

(a) सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 6(1) के अनुसार विश्वविद्यालय का अधिकार-क्षेत्र सम्पूर्ण सिक्किम राज्य पर विस्तारित होगा।

(b) धारा 6(2) के अनुससर हल में लागू किन्हीं अन्य विधियों में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य के अंतर्गत कोई शैक्षिक संस्थान किसी प्रकार से किसी अन्य विश्वविद्यालय के किसी विशेषाधिकार के साथ सहयोजित अथवा सम्बद्ध नहीं रहेगा, इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व इस प्रकार से सम्बद्ध सिक्किम राज्य के अंतर्गत कोई शैक्षिक संस्थान इस अधिनियम के प्रारंभण पर निवर्तित माना जाएगा।

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार लिखित रूप में आदेश द्वारा इस उपधारा के प्रावधानों को आदेश में विनिर्दिष्ट शैक्षिक संस्थानों के मामले में लागू न किया जाना निर्देशित कर सकता है।

3. **विश्वविद्यालय की सांविधियों के अनुसार पृष्ठभूमि टिप्पणी**

(1). सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 24(1) के अनुसार महाविद्यालय विकास परिषद विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के प्रति प्रवेशित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2). अधिनियम की धारा 30(1)(एन) के अनुसार अध्यादेश विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के प्रति प्रवेशित महाविद्यालयों एवं संस्थानों के प्रबंधन का पर्यवेक्षण उपबंधित कर सकता है।

(3). विश्वविद्यालय की सांविधियों की सांविधि 31(1) के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों को विश्वविद्यालय के ऐसे प्राधिकार के प्रति प्रवेशित किया जा सकता है, जैसा कि कार्यकारी परिषद एवं महाविद्यालय विकास परिषद निम्नलिखित शर्तों पर निर्णय ले सकता है, नामतः

(i) प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान में नियमित रूप से गठित एक शासकीय निकाय होगा, जिनमें कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित पंद्रह की संख्या तक सदस्य होंगे तथा इनमें सम्मिलित कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किए जाने योग्य दो शिक्षक एवं तीन शिक्षण कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे जिनमें से एक महाविद्यालय अथवा संस्थान का प्राचार्य होगा। शासकीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति हेतु पद्धति एवं किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले अन्य विषय अध्यादेशों द्वारा विहित होंगे:

बशर्ते कि कथित शर्त सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों एवं संस्थानों पर लागू नहीं होगा जिनमें यद्यपि महाविद्यालय अथवा संस्थान के पंद्रह तक की संख्या मेंसदस्यगण तथा कार्यकारी परिषद द्वारा नामित दो शिक्षकों के साथ एक परामर्शदायी समिति होगी।

(ii) प्रत्येक ऐसा महाविद्यालय अथवा संस्थान निम्नलिखित विषयों पर कार्यकारी परिषद एवं महाविद्यालय विकास परिषद को संतुष्ट करेगा, नामतः

(a) अपने अवस्थापन की उपयुक्तता एवं पर्याप्तता तथा शिक्षण हेतु उपकरण

(b) अपने शिक्षण कर्मचारियों की अर्हताएँ एवं पर्याप्तता एवं सेवा शर्तें

(c) छात्रों के आवास, कल्याण, अनुशासन एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्थाएँ

(d) महाविद्यालय अथवा संस्थान के निरंतर अनुरक्षण हेतु वित्तीय प्रावधान की पर्याप्तता, एवं

(e) अन्य ऐसे विषय जो की विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण हेतु आवश्यक हैं

(iii) कोई भी महाविद्यालय अथवा संस्थान तबतक विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार में प्रवेशित नहीं किया जाएगा जबतक कि शैक्षणिक परिषद द्वारा

इस उद्देश्य से गठित की गई निरीक्षण की एक समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए शैक्षणिक परिषद इसपर अनुशंसा नहीं करता है।

(iv) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार में प्रवेश को इच्छुक महाविद्यालयों एवं संस्थानों के लिए ऐसा करने के अपने अभिप्राय को लिखित रूप से इस प्रकार सूचित किया जाना वांछित है कि यह रजिस्ट्रार के समक्ष उस वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में 15 अगस्त तक पहुँच सके, जिसमें आवेदित अनुमति प्रभावी किया जाना है।

(v) कोई महाविद्यालय अथवा संस्थान कार्यकारी परिषद महाविद्यालय विकास परिषद एवं शैक्षणिक परिषद की अनुमति के बिना अध्ययन के किसी विषय अथवा पाठ्यक्रम में शिक्षण को निलंबित नहीं करेगा, जिन्हें पढ़ाए जाने के लिए इसे प्राधिकृत किया गया है।

सांविधि ***31 (2):***

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार में प्रवेशित महाविद्यालयों अथवा संस्थानों के शिक्षण कर्मचारी एवं प्राचार्य के प्रति नियुक्ति उसी प्रकार की जाएगी जैसा कि अध्यादेशों में विहित है:

बशर्ते कि इस खंड की कोई बात सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों एवं संस्थानों पर लागू नहीं होगी।

सांविधि ***31 (3):***

खंड (2) में संदर्भित प्रत्येक महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रशासनिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा शर्तें वैसी होंगी जैसा कि अध्यादेशों में निर्धारित की जाये।

बशर्ते कि इस खंड की कोई भी बात सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों एवं संस्थानों पर लागू नहीं होगी।

सांविधि ***31 (4):***

विश्वविद्यालय के प्राधिकार में प्रवेशित प्रत्येक महाविद्यालय एवं संस्थान का निरीक्षण कम से कम प्रत्येक दो शैक्षणिक वर्षों में एक बार शैक्षणिक परिषद द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा

किया जाएगा एवं समिति की रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जो कि इसे महाविद्यालय विकास परिषद एवं कार्यकारी परिषद को ऐसी अनुशंसाओं के साथ अग्रेषित करेगा जैसा कि उचित प्रतीत हो।

सांविधि ***31 (5):***

महाविद्यालय विकास परिषद एवं कार्यकारी परिषद रिपोर्ट एवं शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं यदि कोई हो पर विचार करने के बाद रिपोर्ट की एक प्रति महाविद्यालय अथवा संस्थान के शासकीय निकाय को ऐसी अभ्युक्तियों यदि कोई हो के साथ अग्रेषित करेगा जैसा की उपयुक्त कार्रवाई हेतु उचित मानी जाए।

सांविधि ***31 (6):***

कार्यकारी परिषद, महाविद्यालय विकास परिषद एवं कार्यकारी परिषद से परामर्श करने के बाद, किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान को प्रदान की गई किन्हीं सुविधाओं को किसी भी समय वापस ले सकता है, जब यह माना जाता है कि महाविद्यालय अथवा संस्थान उन शर्तों में से किसी की पूर्ति नहीं करता है जिनके पूरा किए जाने की शर्त पर महाविद्यालय या संस्थान को ऐसी सुविधाओं के प्रति प्रवेशित किया गया था।

बशर्ते की ऐसी सुविधाओं के इस प्रकार वापस लिए जाने के पूर्व, संबन्धित महाविद्यालय अथवा संस्थान के शासकीय निकाय को कार्यकारी परिषद के समक्ष यह अभ्यावेदित करने का एक अवसर दिया जाएगा कि ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।

सांविधि ***31 (7):***

खंड (1) में निर्धारित प्रतिबंधों की शर्त पर, अध्यादेशों में निर्धारित किए जा सकते हैं –

(i) ऐसे अन्य प्रतिबंध जो आवश्यक माना जाए, एवं

(ii) विश्वविद्यालय की सुविधाओं के प्रति महाविद्यालय एवं संस्थान के प्रवेश तथा उन सुविधाओं की वापसी हेतु पद्धति

4. कुलपति द्वारा निर्मित एवं वर्तमान में केंद्र सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रथम अध्यादेशों के अनुसार पृष्ठभूमि टिप्पणी

02.1 **नाम**

यह अध्यादेश'' विश्वविद्यालय की सुविधाओं के प्रति महाविद्यालयों अथवा संस्थानों के प्रवेश, प्रबंधन का पर्यवेक्षण एवं उन सुविधाओं की वापसी सहित अन्य शर्तों के लिए पद्धति'' कहलाएगा।

02.2 **प्रवृत्त होने की तारीख**

यह अध्यादेश सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के प्रारंभन की तारीख से अधिनियम की धारा 45(3) के अनुसार प्रभावी होगा।

02.3 **इस सांविधि में प्रयुक्त शब्दावली एवं अभिव्यक्तियाँ**

(1). अभिव्यक्ति ''अधिनियम'' से ''सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006''अभिप्रेत है।

(2). अन्य शब्दावली एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जैसा कि अधिनियम एवं इनके सामर्थ्यवान प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित अध्यादेशों में निर्धारित हैं।

(3). अभिव्यक्ति ''विश्वविद्यालय'' से ''सिक्किम विश्वविद्यालय''अभिप्रेत है।

02.4 **किसी नए महाविद्यालय/संस्थान/पाठ्यक्रम का आरंभ किया जाना**

जब किसी नए महाविद्यालय/संस्थान/पाठ्यक्रम को आरंभ करने का प्रस्ताव किया जाता है, प्रायोजक निकाय, अथवा सरकारी महाविद्यालय/संस्थान के मामले में, संस्थान का प्रमुख/ संबन्धित प्रायोजक प्राधिकारी, रजिस्ट्रार के समक्ष विहित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र उस महाविद्यालय/संस्थान/पाठ्यक्रम को आरंभ करने के अभिक्षित वर्ष से कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष पूर्व प्रस्तुत करेगा। आवेदन के साथ यहाँ नीचे निर्धारित वांछित शुल्क के साथ-साथ विवरणों का उल्लेख करते हुए एक परियोजना रिपोर्ट सम्मिलित की जाएगी।

02.5 **आवेदन पत्रों की आरंभिक स्क्रीनिंग**

विहित शुल्क के साथ आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार आवेदन की संवीक्षा करेंगे तथा प्रायोजक निकाय से लिखित रूप में अगला आवश्यक स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं। तब प्रस्ताव शैक्षणिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो कि इसपर सांविधि 31(1)(*iii)* में यथानिर्धारित तरीके से विचार करेगा।

02.6 **निरीक्षण की समिति:**

शैक्षणिक परिषद द्वारा गठित निरीक्षण की समिति एक स्थायी समिति होगी तथा यह स्थल का परीक्षण एवं निरीक्षण करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी तथा स्थल की उपयुक्तता, प्रस्तुत योजना की संभाव्यता, वास्तविक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रस्तावित संसाधनों की पर्याप्तता, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला सुविधाओं पर अपनी रिपोर्ट अनुशंसाओं सहित शैक्षणिक परिषद को प्रस्तुत करेगी। यदि शैक्षणिक परिषद रिपोर्ट से संतुष्ट होता है तो यह महाविद्यालय विकास परिषद एवं कार्यकारी परिषद के प्रति महाविद्यालय/संस्थान/पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने के लिए अनुमति हेतु अनुशंसा करेगा।

02.7 **प्रायोजक अभिकरणों द्वारा अनंतिम / अस्थाई संबद्धता हेतु उठाए जाने वाले प्रारम्भिक कदम**:

किसी महाविद्यालय/संस्थान के खोले जाने अथवा किसी नए पाठ्यक्रम के आरंभ किए जाने की अनुमति प्राप्त होने पर, प्रायोजक अभिकरण सभी आवश्यक तैयारियां करेगा। यदि कोई नया महाविद्यालय/संस्थान खोला जाना है, तो एक शासकीय निकाय गठित करने एवं प्राचार्य/निदेशक तथा अन्य शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों जैसा कि मामला हो की नियुक्ति हेतु कदम उठाया जाएगा। यदि किसी विद्यमान महाविद्यालय/संस्थान में कोई नया पाठ्यक्रम आरंभ किया जाना हो तो वास्तविक सुविधाओं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपकरणों के संबंध में आवश्यक व्यवस्था इस उद्देश्य हेतु शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ-साथ की जाएगी। अनंतिम/अस्थाई संबद्धता को इच्छुक महाविद्यालय/संस्थान के पास विश्वविद्यालय मानदंड के अनुसार एक नियमित एवं अर्हताप्राप्त प्राचार्य, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारीगण होना चाहिए जैसा कि महाविद्यालय विकास परिषद एवं कर्मचारी परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है।

02.8 **अनंतिम/अस्थाई संबद्धता हेतु आवेदन पत्र**

प्रायोजक अभिकरण, किसी महाविद्यालय/संस्थान के खोले जाने अथवा विद्यमान महाविद्यालय/संस्थान में नए पाठ्यक्रम(ओं) को आरंभ करने की सभी व्यवस्थाएँ एवं तैयारियां पूरी करने पर विश्वविद्यालय को तत्काल नियुक्ति के बारे में तथा इस तथ्य के बारे में सूचित करेगा कि महाविद्यालय/संस्थान/पाठ्यक्रम का संचालन शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के कम से कम 90 दिन पूर्व आरंभ हो गया है तथा अनंतिमअस्थाई संबद्धता हेतु विश्वविद्यालय के प्रति आवेदन करेगा।

02.9 **अनंतिम/अस्थाई संबद्धता प्रदान किए जाने के लिए प्रथम चरण**

कुलपति या तो निरीक्षण की एक नई समिति गठित करेगा या उसी समिति (जिस समिति की रिपोर्ट पर अनुमति प्रदान की गई थी) को महाविद्यालय/संस्थान का भ्रमण करने एवं

शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहेगा। रिपोर्ट प्राप्त करने पर शैक्षणिक परिषद इसे अपनी अभ्युक्तियों एवं टिप्पणियों के साथ महाविद्यालय परिषद एवं कार्यकारी परिषद को अग्रेषित करेगा। यदि शैक्षणिक परिषद इस रिपोर्ट से संतुष्ट है तो यह दो वर्षों की अवधि हेतु अनंतिम/अनुशंसा कर सकता है। साधारणतया संबद्धता, पहली बार में, सामान्य स्तर के पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए दी जा सकती है। बशर्ते कि सरकार अथवा किसी प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था द्वारा प्रायोजित महाविद्यालय/संस्थान के मामले में, संबद्धता सामान्य एवं मुख्य स्तर/ अनंतिम/अस्थाई पाठ्यक्रमों के लिए साथ-साथ दी जा सकती है।

02.10 **अनंतिम/अस्थाई संबद्धता का नवीनीकरण:**

(1) किसी महाविद्यालय/संस्थान के प्रति अनंतिम/अस्थाई संबद्धता एक समय में दो वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। नवीनीकरण हेतु अनुरोध विहित प्रपत्र में अनंतिम/अस्थाई संबद्धता की अवधि की समाप्ति के छः माह पूर्व से प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई महाविद्यालय/संस्थान संबद्धता के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनंतिम/अस्थाई संबद्धता की अवधि के ठीक अंतर्गत नहीं करता है तो प्रदान की गई संबद्धता समाप्त समझी जाएगी।

बशर्ते कि पूर्व में अन्य विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता के अधीन तथा शैक्षणिक सत्र 2008-09 से सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रति संबद्धता में आने वाले महाविद्यालयों/ संस्थानों के लिए, शैक्षणिक परिषद, निरीक्षण की समिति की रिपोर्ट पर विधिवत विचार करने के पश्चात, अगले दो वर्षों की अवधि के लिए स्थायी अथवा अस्थाई रूप से अथवा शेष/अवशिष्ट अवधि हेतु संबद्धता के नवीनीकरण हेतु अनुशंसा कर सकता है।

(2) कुलपति नवीनीकरण के अनुरोध पर रिपोर्ट देने के लिए निरीक्षण की समिति के प्रति व्यक्तियों को नामित करेंगे। निरीक्षण की समिति महाविद्यालय का भ्रमण करेंगे, इसकी प्रगति एवं कार्यनिष्पादन की समान्यतया समीक्षा करेंगे तथा कुलपति के प्रति अपनी रिपोर्ट इसे शैक्षणिक परिषद को अनंतिम/अस्थाई संबद्धता के नवीनीकरण/वापसी हेतु अग्रेषित किए जाने के लिए अपनी अनुशंसाओं के साथ प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद शैक्षणिक परिषद इसे महाविद्यालय विकास परिषद एवं कार्यकारी परिषद को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी अभ्युक्तियों के साथ अग्रेषित करेगा।

02.11 **निरीक्षण:**

विश्वविद्यालय के प्राधिकार के प्रति प्रवेशित प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान का कुलपति द्वारा इस उद्देश्य से गठित समिति के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

02.12 **स्थायी संबद्धता:**

कोई महाविद्यालय/संस्थान जिन्हें इस अध्यादेश में यथानिर्धारित अनंतिम/अस्थाई संबद्धता प्रदान की गई है, स्थायी संबद्धता हेतु आवेदन कर सकता है जिसपर महाविद्यालय विकास परिषद एवं कार्यकारी परिषद द्वारा शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं के आधार पर विचार कर सकता है एवं जो कि तभी किया जा सकता है जब कि महाविद्यालय 3 अथवा अधिक वर्षों से किसी विश्वविद्यालय की अस्थाई/अनंतिम संबद्धता का उपभोग कर रहा हो।

02.13 **नई शर्तें निर्धारित करने की शक्ति:**

कार्यकारी परिषद, समय-समय पर तथा महाविद्यालय की अनुशंसाओं पर, संबद्धता हेतु नई शर्तों (सामान्य अथवा विशिष्ट, कर्मचारियों, भवन, उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं एवं वित्त अथवा अन्य संगत विषयों के बारे में) का निर्धारण कर सकता है एवं तारीख निर्दिष्ट कर सकता है जिसके अंतर्गत इन शर्तों को अवश्य पूरा कर ली जाए अन्यथा महाविद्यालय/संस्थान को विश्वविद्यालय की सुविधाओं के उपभोग से वंचित किया जा सकता है।

02.14 इस अध्यादेश में निहित किसी बात के होते हुए भी, कुलपति उपरोक्त अध्यादेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन में हो रही कठिनाइयों के निवारण के लिए यथावश्यक कार्रवाई कर सकते हैं, यदि कोई हो, बशर्ते कि शैक्षणिक परिषद को स्वीकार्य हो तथा महाविद्यालय विकास परिषद एवं कार्यकारी परिषद द्वारा इसकी संपुष्टि की जाए।

उपरोक्त के आलोक में, शैक्षणिक परिषद सिक्किम राज्य के नौ महाविद्यालयों के प्रति ऊपर यथाउल्लेखित प्रदान की गई सम्बद्धता के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव पर विचार करें।]

शैक्षणिक परिषद ने ऊपर यथाउल्लेखित सिक्किम राज्य के नौ महाविद्यालयों को प्रदान की गई संबद्धता के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया, इसे स्वीकार किया एवं अनुशंसा करने का निर्णय लिया कि इन महाविद्यालयों को प्रदान की गई अनंतिम संबद्धता की समाप्ति की तारीख से प्रभावी एक वर्ष के लिए नवीनीकारण किया जाये।

एसी:02:11 शासकीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति हेतु पद्धति एवं विश्वविद्यालय के प्राधिकार के प्रति प्रवेशित एवं सरकार द्वारा गैर-अनुरक्षित किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले अन्य विषयों के लिए ड्राफ्ट अध्यादेश पर विचार करना

[कार्यसूची टिप्पणी*:*

ड्राफ्ट अध्यादेश पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा]

शैक्षणिक परिषद ने पटल पर प्रस्तुत ड्राफ्ट अध्यादेश (**अनुलग्नक-एसी:02:11**) पर विचार किया तथा कार्यकारी परिषद के अनुमोदनार्थ निम्नलिखित अनुशंसा की:

इस विश्वविद्यालय के प्राधिकार के प्रति प्रवेशित एवं सरकार द्वारा गैर-अनुरक्षित किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान के शासकीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति हेतु पद्धति एवं इनके प्रबंधन को प्रभावित करने वाले अन्य विषयों के लिए ड्राफ्ट अध्यादेश

*(*विश्वविद्यालय की सांविधियों की सांविधि 31(1)(*i)* के तहत*)*

पृष्ठभूमि टिप्पणी:

1. विश्वविद्यालय की सांविधियों की सांविधि 31(1) के अनुसार, विश्वविद्यालय के अधिकार-क्षेत्र में अवस्थित महाविद्यालयों एवं संस्थानों को विश्वविद्यालय की उन सुविधाओं के प्रति प्रवेशित किया जा सकता है जैसा कि कार्यकारी परिषद एवं महाविद्यालय विकास परिषद निम्नलिखित शर्तों पर विचार करते हैं, नामतः

(i) प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय एवं संस्थान में नियमित रूप से गठित एक शासकीय निकाय होगा, जिसमें कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित पंद्रह तक की संख्या में व्यक्तिगण होंगे तथा अन्य सदस्यों में सम्मिलित, कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किए जाने योग्य विश्वविद्यालय के दो शिक्षकगण तथा शिक्षण कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि होंगे जिनमें महाविद्यालय अथवा संस्थान का प्राचार्य एक होगा। किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान के शासकीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति हेतु पद्धति तथा इसके प्रबंधन को प्रभावित करने वाले अन्य विषय अध्यादेशों में निर्धारित होंगे।

बशर्ते कि कथित शर्त सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय अथवा संस्थान के मामले में लागू नहीं होगा, जिसमें कि यद्यपि, पंद्रह तक व्यक्तियों के साथ गठित एक परामर्शदायी समिति होगी, जिनमें अन्य सदस्यों में सम्मिलित महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्राचार्य सहित तीन शिक्षकगण, तथा कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षक होंगे।

अध्यादेश

01.1 नाम

इस अध्यादेश को " विश्वविद्यालय की सुविधाओं के प्रति प्रवेशित एवं सरकार द्वारा गैर-अनुरक्षित किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान के शासकीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति हेतु पद्धति तथा इनके प्रबंधन को प्रभावित करने वाले अन्य विषयों के लिए अध्यादेश" कहा जाएगा।

01.2 प्रवृत्त होने की तारीख

यह अध्यादेश सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के प्रारंभण की तारीख से अधिनियम की धारा 45(3) के अनुसार प्रवृत्त होगा।

01.3 अध्यादेश में प्रयुक्त शब्दावली एवं अभिव्यक्तियाँ

(4). अभिव्यक्ति "अधिनियम" से "सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006" अभिप्रेत है।

(5). अन्य शब्दावली एवं अभिव्यक्तियाँ वही अर्थ रखेंगी जैसा कि अधिनियम एवं इसके सामर्थ्यवान प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित अध्यादेशों में निर्धारित है।

(6). अभिव्यक्ति "विश्वविद्यालय" से "सिक्किम विश्वविद्यालय" अभिप्रेत है।

(7). अभिव्यक्ति "सांविधि" से सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की "अनुसूची (सिक्किम विश्वविद्यालय की सांविधियाँ" अभिप्रेत हैं।

01.4 शासकीय निकाय:

विश्वविद्यालय की सुविधाओं के प्रति प्रवेशित एवं सरकार द्वारा गैर-अनुरक्षित महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में, निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठित एक शासकीय निकाय होगा:

1)	प्रायोजक (ट्रस्ट सोसाइटी आदि) द्वारा नामित एक व्यक्ति:	अध्यक्ष
2)	कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षकगण :	सदस्यगण
3)	शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित एक व्यक्ति:	सदस्य
4)	महाविद्यालय/संस्थान के शिक्षकों द्वारा नामित महाविद्यालय/ संस्थान के शिक्षण कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि:	सदस्यगण

5) कुलपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति:	सदस्य
6) सिक्किम विश्वविद्यालय का एक नॉमिनी:	सदस्य
7) सिक्किम सरकार का एक नॉमिनी:	सदस्य
8) प्रायोजक (ट्रस्ट सोसाइटी आदि) द्वारा नामित दो व्यक्तिगण:	सदस्यागण
9) महाविद्यालय/संस्थान का प्राचार्य:	सदस्य सचिव (पदेन)

शासकीय निकाय महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले विषयों के नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

01.5 सदस्यता का कार्यकाल, पदेन सदस्यों को छोडकर, 3 वर्षों का होगा।

01.6 अध्यादेश में निहित किसी बात के हिते हुए भी, कुलपति इस अध्यादेश के कार्यान्वयन में हो रही कठिनाइयों, यदि कोई हो, के निवारण के लिए यथावश्यक उचित कार्रवाई कर सकते हैं, बशर्ते कि शैक्षणिक परिषद द्वारा इसकी संपुष्टि की जाये।

एसी:02:12 **विश्वविद्यालय की सुविधाओं के प्रति प्रवेशित एवं सरकार द्वारा गैर-अनुरक्षित महाविद्यालयों अथवा संस्थानों के शिक्षण कर्मचारियों एवं प्राचार्य की नियुक्ति हेतु ड्राफ्ट अध्यादेश पर विचार किया जाना**

[कार्यसूची टिप्पणी**:**

ड्राफ्ट अध्यादेश पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।]

ड्राफ्ट अध्यादेश (अनुलग्नक-एसी:02:12) पटल पर प्रस्तुत किया गया। इस मद को अधिक विस्तृत रूप में ड्राफ्ट के पुनर्प्रस्तुतिकरण हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा विलंबित किया गया।

एसी:02:13 **इस विश्वविद्यालय की सुविधाओं के प्रति महाविद्यालयों एवं संस्थानों को प्रवेशित करने के लिए आवश्यक अन्य शर्तों हेतु ड्राफ्ट अध्यादेश पर विचार करना**

[कार्यसूची टिप्पणी:

ड्राफ्ट अध्यादेश सदन पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।]

इस मद को शैक्षणिक परिषद द्वारा ड्राफ्ट अध्यादेश को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने के लिए विलंबित किया गया।

एसी:02:14 **विश्वविद्यालय की सांविधियों की सांविधि 31(1)(*iii)* के अनुसार निरीक्षण की समिति के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर विचार करना**

[कार्यसूची टिप्पणी:

प्रस्तावित प्रथम अध्यादेशों के खंड 02.6 के साथ पठित ऊपर यथा उल्लेखित सांविधि *31(1)(iii)* के अनुसार, शैक्षणिक परिषद निरीक्षण की एक स्थायी समिति का गठन करेगा जो कि स्थल का परीक्षण एवं निरीक्षण करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी तथा स्थल की उपयुक्तता, प्रस्तुत योजना की संभाव्यता, वास्तविक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रस्तावित संसाधनों की पर्याप्तता, पुस्तकालय/ प्रयोगशाला सुविधाओं पर अपनी रिपोर्ट अनुशंसाओं के साथ शैक्षणिक परिषद को प्रस्तुत करेगी।

शैक्षणिक परिषद कृपया निरीक्षण की स्थायी समिति का गठन करे।]

शैक्षणिक परिषद ने, उपरोक्त पर विधिवत विचार करने के पश्चात, निम्नानुसार निरीक्षण की समिति गठित करने का निर्णय लिया:

1)	संबन्धित स्कूल का डीन:	अध्यक्ष
2)	सम्बद्ध महाविद्यालयों का एक प्राचार्य:	सदस्य
3)	सम्बद्ध/संबन्धित विषय का विभागाध्यक्ष:	सदस्य
4)	सिक्किम सरकार का एक प्रतिनिधि:	सदस्य
5)	सिविल सोसाइटी का एक विशेषज्ञ/सदस्य:	सदस्य

उपरोक्त सदस्यों को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा। कुलपति द्वारा नियुक्त, विश्वविद्यालय का एक अधिकारी, समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेगा।

एसी:02:15 विभिन्न संस्थाओं/पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता के नए/ विस्तार हेतु प्रस्ताव पर विचार करना

[कार्यसूची टिप्पणी:

इस विश्वविद्यालय ने निम्नानुसार विभिन्न संस्थाओं/पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता के नए/विस्तार हेतु निम्नलिखित आवेदन पत्र प्राप्त किए हैं:

से प्रस्ताव	के लिए प्रस्ताव	प्राप्ति की तारीख	अभ्युक्तियाँ
रेनौक शैक्षिक सोसाइटी फाइव वेज देउराली तादोंग सिक्किम-737121	हिमालियन इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की संबद्धता	23.01.2009	यह प्रस्ताव इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी की चार शाखाओं में 4-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए नए संस्थान हेतु है।
हिमालियन फार्मेसी संस्थान माझीटार पूर्व सिक्किम-737136	हिमालियन फार्मेसी संस्थान में फार्मेसी व्यवहार में एम फार्म पाठ्यक्रम की प्रस्तावना	27.12.2008	हिमालियन फार्मेसी संस्थान सिक्किम विश्वविद्यालय की एक सम्बद्ध संस्था है।
--वही--	हिमालयन फार्मेसी संस्थान औषधीय विश्लेषण एवं गुणता आश्वासन में एम. फार्म. पाठ्यक्रम की प्रस्तावना	27.12.2008	हिमालयन फार्मेसी संस्थान सिक्किम विश्वविद्यालय की सम्बद्ध संस्था है।

शैक्षणिक परिषद की दिनांक 22.05.2009 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय	बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम की की निम्न विषय में प्रस्तावना- माइक्रोबायोलॉजी (सामान्य) वाणिज्य (सामान्य एवं सम्मान) पाइथोलोजी (सामान्य) में	02.04.2009	पाकिम पैलेटाइन कालेज सिक्किम विश्वविद्यालय का एक सम्बद्ध कालेज है।
रेनौक सरकारी कालेज	बैचलर डिग्री (आनर्स) में निम्न विषय की प्रस्तावना- राजनीतिशास्त्र भूगोल नेपाली समाजशास्त्र	22.04.2009	रेनौक सरकारी कालेज सिक्किम विश्वविद्यालय का एक सम्बद्ध महाविद्यालय है।

सदन को यह भी सूचित किया गया कि दूसरा आवेदन पत्र हिमालयन फार्मेसी संस्थान से 13 मई 2009 को फार्माकोलाजी में एम.फार्म. पाठ्यक्रम हेतु नामांकन क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त पर विधिवत विचार करने के बाद, शैक्षणिक परिषद ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

a) **रेनौक शैक्षिक संस्था एवं हिमालयन फार्मेसी संस्थान से तकनीकी शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाये ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने साथ ही इस विषय पर अगली कार्रवाई के लिए उचित अनुशंसा की जा सके।**

b) **पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय एवं रेनौक सरकारी महाविद्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को कार्यसूची मद सं. एसी:02:14 के तहत यथागठित निरीक्षण की समिति को प्रेषित किया जाये।**

शैक्षणिक परिषद की दिनांक 22.05.2009 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

एसी:02:16 वर्ष 2009-10 के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम की प्रस्तावना हेतु प्रस्ताव पर विचार करना

[कार्यसूची टिप्पणी:

यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2009-19 से पीजी स्तर पर निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है:

विभाग का नाम	**स्कूल का नाम जिससे विभाग सम्बद्ध है**
1. सामाजिक प्रणाली एवं मानवशास्त्र विभाग	सामाजिक विज्ञान का स्कूल
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध/राजनीति विभाग	वैश्विक अध्ययन का स्कूल
3. शांति संघर्ष एवं प्रबंधन अध्ययन विभाग	शांति, संघर्ष एवं मानव सुरक्षा अध्ययन
4. माइक्रोबायोलॉजी विभाग	जीव विज्ञान का स्कूल

यह प्रस्तावित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2009-10 से पीजी स्तर पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम आरंभ किया जाये।

विभाग/स्कूल का नाम	**स्कूल का नाम जिससे विभाग सम्बद्ध है।**
5. भौतिक विज्ञान विभाग	भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान का स्कूल
6. विधि एव विधिक न्यायशास्त्र अध्ययन विभाग	विधि एवं शासन का स्कूल
7. मनोवैज्ञानिक अध्ययन विभाग	सामाजिक अध्ययन का स्कूल

8. फ्लोरिकल्चर एवं हार्टीकल्चर प्रबंधन विभाग	धारणीय विकास एवं आजीविका प्रबंधन का स्कूल
9. नीति आयोजना एवं अध्ययन का स्कूल	नीति आयोजना एवं अध्ययन का स्कूल

शैक्षणिक परिषद कृपया विचार करे एवं उपरोक्त प्रस्तावों को स्वीकार करे तथा कार्यकारी परिषद द्वारा एक अध्यादेश के रूप में इसके अनुमोदनार्थ इसकी अनुशंसा करें।]

शैक्षणिक परिषद ने उपरोक्त को नोट किया तथा कुलपति को इस विषय पर अगली कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:02:17 विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठचर्या विकास हेतु विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर विचार करना।

[कार्यसूची टिप्पणी*:*

इन रिपोर्टों को सदन पटल पर रखा जाएगा।]

शैक्षणिक परिषद ने इस मुद्दे एवं कुलपति द्वारा किए गए प्रेक्षणों पर विधिवत विचार करने के बाद, कुलपति को इन पाठचर्या पर मेधा के आधार पर अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय लिया।

आगे यह भी निर्णय लिया गया कि इन पाठचर्या को शैक्षणिक परिषद के सदस्यों को साफ्ट प्रतियों में उनके अवलोकनार्थ एवं अभ्युक्तियों के लिए प्रेषित किया जाएगा।

एसी:02:18 स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन प्रक्रिया हेतु ड्राफ्ट अध्यादेश पर विचार करना

[कार्यसूची टिप्पणी*:*

ड्राफ्ट अध्यादेश सदन पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।]

ड्राफ्ट अध्यादेशों (अनुलगनक-एसी:02:18) को सदन पटल पर प्रस्तुत किया गया।

इस मद को शैक्षणिक परिषद द्वारा ड्राफ्ट के अधिक विस्तृत रूप में पुनर्प्रस्तुतिकरण हेतु विलंबित किया गया। तथापि, शैक्षणिक सत्र 2009-10 हेतु संदर्शिका को शैक्षणिक परिषद द्वारा स्वीकार किया गया, जो कि सदन पटल पर प्रस्तुत किया गया था।

एसी:02:19 अंडरग्रेजुएट नामांकन मानदंडों के लिए ड्राफ्ट अध्यादेशों पर विचार करना

[कार्यसूची टिप्पणी:

ड्राफ्ट अध्यादेश को सदन पटल पर प्रस्तुत किया गया।]

इस मद को रजिस्ट्रार के इस प्रस्ताव पर विलंबित किया गया कि अध्यादेश के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिये जाने के लिए और अधिक परामर्श किया जाना वांछित है।

एसी:02:20 अंडरग्रेजुएट एवं पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर परिणामों पर विचार करना तथा सुधार-पत्र की प्रस्तावना हेतु प्रस्ताव सहित सुधार के लिए प्रस्ताव पर विचार करना।

[कार्यसूची टिप्पणी:

प्रथम सेमेस्टर परीक्षाएँ 10 दिसंबर 2008 को समाप्त हुई तथा परिणामों को दिनांक 30 दिसंबर 2008 को प्रकाशित किया गया। सफल छात्रों की संख्या 1622 में से 882 थी जो कि परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सभी स्ट्रिंम्स/ शास्त्रों में उत्तीर्णता का प्रतिशत 54 था। तथापि, परंतु बीए (सामान्य), बीएससी (सामान्य) एवं बीकाम (सामान्य) सदृश कुछ पाठ्यक्रमों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी। बहुत से छात्रों ने मध्य-सेमेस्टर जांच हेतु पुस्तिकाओं एवं मध्यावधि पत्रों सहित उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया। पूयर्मूल्यांकन के बाद, कुल मिलाकर 1243 छात्रगण उत्तीर्ण हुए जिससे समग्र उत्तीर्णता प्रतिशत 77 हो गया। चूंकि नियमों में निर्धारित है कि सेमेस्टर परीक्षाओं के असफल छात्र स्वतः प्रणाली से बाहर हो जाएँगे तथा इस पर विचार करते हुए कि छात्र एवं शिक्षकगण दोनों परीक्षाओं की सेमेस्टर प्रणाली से अवगत थे,

सभी असफल छात्रों को एक बार के लिए विशेष मामले के तौर पर शून्य सेमेस्टर के लाभ की अनुमति प्रदान की गई। इन छात्रों को द्वितीय सेमेस्टर कक्षाओं में निरंतरता की अनुमति दी गई तथा उन्हें प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में निर्धारित सेमेस्टरों की संख्या के अतिरिक्त एक और सेमेस्टर की अनुमति दी जाएगी। एक सुधार पेपर हेतु प्रावधान प्रथम अध्यादेशों में किया गया है जिसे शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2008 के परिणाम का स्सर-संक्षेप नीचे दिया गया है:

पाठ्यक्रम का नाम	**उपस्थित छात्रों** की संख्या	**पुनर्मूल्यांकन के पूर्व उत्तीर्ण छात्रों की संख्या**	**पुनर्मूल्यांकन के बाद उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या**	**उत्तीर्णता** का प्रतिशत
बी ए (आनर्स)	*297*	*183*	*262*	*88*
बी ए (सामान्य)	*690*	*261*	*411*	*60*
बी एससी (आनर्स)	*58*	*46*	*55*	*95*
बी एससी (सामान्य)	*73*	*39*	*52*	*71*
बी काम (आनर्स)	*24*	*14*	*23*	*96*
बी काम (सामान्य)	*110*	*42*	*90*	*82*
बी ए (पर्यटन)	*32*	*17*	*26*	*81*
बी एड	*200*	*199*	*199*	*99.5*
बीएलआईएससी	*18*	*17*	*18*	*100*
बीए एलएलबी	*61*	*49*	*57*	*93*
बी फार्म	*60*	*42*	*51*	*85*
कुल	***1623***	***909***	***1244***	*77*

शैक्षणिक परिषद कृपया नोट करें तथा विद्यमान परिस्थितियों में की गई कार्रवाई की संपुष्टि करें।]

शैक्षणिक परिषद ने नोट किया तथा कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की।

तथापि, उपरोक्त कार्रवाई को पूर्वोद्धारण नहीं माना जाएगा।

शैक्षणिक परिषद की दिनांक 22.05.2009 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

एसी:02:21 **विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आगंतुक प्रोफेसरों, फ़ेलो एवं एडजंक्ट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर विचार करना**

[कार्यसूची टिप्पणी:

विश्वविद्यालय की सांविधियों की सांविधि *12(2)(i)* के अनुसार, कार्यकारी परिषद के पास, अन्य बातों के अलावा, शिक्षण एवं अन्य शैक्षणिक पदों का सृजन करने, ऐसे पदों की संख्या एवं परिलब्धियाँ निर्धारित करने तथा प्रोफेसरों, रीडरों, व्याख्याताओं एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद द्वारा शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विचारान्त के अन्यथा शिक्षकों एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या एवं अर्हताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

शैक्षणिक परिषद विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आगंतुक प्रोफेसरों, फ़ेलो एवं एड्जंक्ट प्रोफेसरों के पदों के सृजन पर कृपया विचार करें तथा ताड़ोपरांत कार्यकारी परिषद के विचारार्थ उचित अनुशंसा करें।

शैक्षणिक परिषद ने सलाह दी कि इस प्रस्ताव को ड्राफ्ट अध्यादेश के साथ अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

एसी:02:22 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय**

विचारार्थ अन्य कोई विषय नहीं होने के कारण, बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात समाप्त घोषित की गई।

हस्ता.
रजिस्ट्रार
सिक्किम विश्वविद्यालय एवं
सचिव, शैक्षणिक परिषद